

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5328/2025

लालचन्द

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 31 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार तिवारी, गोपाल दास श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:- "(i) उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 1093/24-25, शोभनाथ बनाम लालचन्द एवं अन्य (संलग्नक संख्या 1) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.06.2025 को रद्द किया जाए। (ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा अपील संख्या 1093/24-25, शोभनाथ बनाम लालचन्द एवं अन्य, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के तहत दायर रिकॉल आवेदन दिनांक 18.09.2025 को यथाशीघ्र, अधिमानतः एक महीने के भीतर तय करें।"
3. काफी देर तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने केवल राहत संख्या 2 पर बल दिया है।
4. यह तर्क दिया गया है कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (संक्षेप में 'बंदोबस्त अधिकारी') ने प्रत्यर्थी संख्या की ओर से दायर अत्यधिक विलंबित अपील में दिनांक 10.06.2025 को एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया है। उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 10.06.2025 के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.09.2025 को एक पुनःस्थापन आवेदन दायर किया है जो विचाराधीन लंबित है; इस तथ्य के बावजूद कि अपीलार्थी (यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 3) पहले ही बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त वाद को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
6. इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वे उपर्युक्त वाद को कड़ाई से कानून के अनुसार, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश

के माध्यम से शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर तय करें।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

वी.आर.